आरक्षण हटाओ | प्रेम बढ़ाओ | देश बचाओ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

39, रामनगर-सी, झोटवाड़ा, जयपुर
e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड़
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्म
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665

रामनिरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
मो. 94140-59451

अजमेर
के.जी. मोदानी
मो. 94146-86729

बीकानेर
कैप्टन गुरुविन्दर सिंह
मो. 93141-42509

भरतपुर
कृष्ण महावीर नागेश
मो. 05644 -228554

जोधपुर
मनोहर पालीवाल
मो. 94140-31311

कोटा
श्यामवीर सिंह चौधरी
मो. 94140-38679

उदयपुर
राजकुमार फतावत
मो. 94141-61279

'टार्गेट- 2010'
आरक्षण समाप्ति अभियान-
प्रथम चरण

क्रमांक

दिनांक :

कृपया पढ़ें, सोचे और समझें - सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के इस ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार नौकरियों एवं पदोन्नतियों में आरक्षण बन्द हो चुका है। फैसले को लागू कराने के लिए जागें और जागरण अभियान चलायें।

विषय :- ***नियुक्तियों में आरक्षण दिनांक 19.10.06 से तथा पदोन्नतियों में आरक्षण दिनांक 17.6.1995 से समाप्त है - कृपया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.10.06 में अभिनिर्धारित नियमों का पालन करें, उल्लंघन ना करें।***

महोदय,

जैसा कि आपको विदित ही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एम.नागराज एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के प्रकरण में दिनांक 19.10.06 में सर्वसम्मति से अभिनिर्धारित किया है कि :-

(A) नियुक्तियों में आरक्षण अनुच्छेद 16(4) :-

(i) अनुच्छेद 16(4) (4A) एवं 16(4B) enabling 'provisions' है। (पैरा 13, 78, 106, 107, 123)

(ii) सरकार पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। (पैरा 123)

(iii) **यदि सरकार पिछड़े वर्गों को नियुक्ति में आरक्षण देना चाहती है तो उसे प्रत्येक प्रकरण में (in each case) निम्न अनिवार्य कारणों (compelling reasons) को आरक्षण प्रावधान बनाने से पहले संख्यात्मक आंकड़ों (Quantifiable data) से प्रमाणित करना होगा :-** (पैरा 49, 86, 107, 108, 110, 112, 117, 123)

(a) पिछड़ापन (backwardness)
(b) अपर्याप्त प्रतिनिधित्व* (inadequate representation) एवं
(c) सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा, अनुच्छेद 335 (overall administrative efficiency, Act. 335)

*** पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अर्थ आनुपातिक प्रतिनिधित्वनहीं है । (पैरा ... 59)**

(iv) उपरोक्त अनिवार्य शर्तों/कारणों को साबित करने से पहले सरकार को आरक्षण संबंधी प्रावधान बनाने के अधिकार नहीं है। यदि सरकार उक्त अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहती है या इन्हें पूरा किये बिना आरक्षण प्रावधान बनाती है तो वे अविधिक हैं। (पैरा 46, 86, 102, 110, 112, 123)

(v) उपरोक्त अनिवार्य शर्तों को संख्यात्मक आंकड़ों से प्रमाणित करने के पश्चात् ही सरकार को आरक्षण प्रावधान बनाने का अधिकार मिलता है। अब यदि सरकार अपने अधिकार का उपयोग करना चाहती है तो उसे आरक्षण के लिए प्रावधान बनाने होंगे जिसमें निम्न शर्तों को शामिल करना आवश्यक है :– (पैरा 86, 121, 122, 123)

(a) आरक्षण प्रावधान किसी भी स्तर पर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। (पैरा 83)

(b) क्रिमिलेयर को आरक्षण का कोई लाभ देय नहीं होगा। (पैरा 121, 122, 123)

(c) आर.के. सबरवाल के प्रकरण में निर्धारित Post based roster with in built concept of replacement की पालना करनी होगी। (पैरा 83, 121)

(d) ओ.बी.सी. व एस.सी./एस.टी. का उपवर्गीकरण यथावत रखना होगा। (पैरा 121)

(e) बैकलॉग या Carryover नियम 3 वर्ष से अधिक के लिये नहीं होगा। (पैरा 100)

(vi) उपरोक्त सभी शर्तें संवैधानिक आवश्यकताएँ हैं जिनके बिना अनुच्छेद 16 में दिया गया अवसरों की समानता का मूल अधिकार नष्ट हो जायेगा। (पैरा 122)

(vii) सरकार को यह भी देखना होगा कि उसके आरक्षण प्रावधान जातिवाद को बढ़ावा देने वाले नहीं हो (पैरा 49)। आवश्यकता से अधिक (excessive) नहीं हो। (पैरा 48, 55, 121, 122, 123) अनिश्चतकाल के लिये नहीं हो। (पैरा 123) इनकी समय–समय पर समीक्षा की जावे। जिन आरक्षित जातियों/वर्गों के लोग समान्य वर्गों के पदों पर चयनित हो रहे हो उन आरक्षित जातियों/वर्गों को आरक्षण लाभ की सूची से हटाने पर विचार किया जावे। (पैरा 60)

(viii) यदि सरकार द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन करते हुए आरक्षण प्रावधान नहीं बनाये जाते हैं, तो न्यायालय द्वारा उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा। (पैरा 102, 110)

(B) पदोन्नति में आरक्षण (अनुच्छेद 16(4) (A) एवं (B) :–

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में ही यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 16 (4A) एवं (4B) अनुच्छेद 16(4) में से ही निकले हैं अतः अनुच्छेद 16(4) के लिये जो संवैधानिक अनिवार्यताएँ (ऊपर पैरा (A) में वर्णित) निर्धारित की गयी है वे सभी अनुच्छेद 16 (4A) एवं (4B) पर भी लागू होती है। अतः पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान बनाने के लिए भी सरकार को उपरोक्त सभी शर्तें लागू करना अनिवार्य है। (पैरा 104, 107)

(ii) पदोन्नतियों में आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त शर्तों के अधीन ही अनुमोदित किया है। यदि राज्य उक्त शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो ये संविधान संशोधन राज्य को कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकते। (पैरा 117, 124)

(iii) पदोन्नतियों में आरक्षण व्यवहारिक रूप से समाप्त हो चुका है क्योंकि उक्त एम. नागराज के प्रकरण में जो अनिवार्य शर्तें लगायी गयी हैं, उन्हें पूरा करना सरकार के लिए असंभव है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निम्न शर्तें लगायी गयी है, जिन्हें पूरा करना असंभव क्यों है, यह तथ्य उनके सामने अंकित है– सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रावधान बनाने से पहले निम्न तीन अनिवार्य कारण क्वाण्टिफिएबल डाटा से प्रमाणित करना अनिवार्य है–

(a) पिछड़ापन (backwardness) :–

इन्दिरा साहनी के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ निर्णय दे चुकी है कि सरकारी नौकरी में आने के बाद सभी नागरिक "एक–समान" (Equal) हो जाते हैं। फिर भी सिर्फ जाति के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है, तो वह असंवैधानिक है तथा विपरीत भेदभाव (Reverse discrination) की श्रेणी में आता है। (इंदिरा साहनी AIR 1993 SC 477 के पैरा 107, 364, 605, 689)

(b) अपर्याप्त प्रतिनिधित्व (Inadequate Representation) :–

सरकार को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले शुद्ध आंकड़ों से यह प्रमाणित करना होगा कि अमुक व्यक्ति/कर्मचारी की जाति/वर्ग का सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है– सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ज्यों ही सरकार द्वारा गणना करवाकर आंकड़े संग्रहित किये जायेंगे तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो जायेगा कि आज दिन तक सभी आरक्षित वर्गों का सरकार नौकरियों में 'पर्याप्त' से भी अधिक प्रतिनिधित्व हो चुका है।

(c) प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा, अनुच्छेद 335 (Overall Administrative Efficiency) :–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ पहले ही निर्णय दे चुकी है कि पदोन्नति में आरक्षण अनुच्छेद 335 के पूर्णतः विरूद्ध है, विभेदकारी है, कर्मठ कर्मचारियों का दिल जलाने वाला है, निराशा उत्पन्न करने वाला है तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारियों को भी नाकारा बनाने वाला होने के कारण असंवैधानिक है। (पैरा 100, 107, 466, 467, इंदिरा साहनी AIR 1993 SC 477)

(iv) अनुच्छेद 16 (4A) के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण दिनांक 17.06.95 से लागू किया गया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू की गयी उपरोक्त सभी शर्तें भी स्वतः ही दिनांक 17.06.95 से ही लागू है। चूंकि सरकार द्वारा अनुच्छेद 16 (4A) के अनुक्रम में अभी तक कोई प्रावधान नहीं बनाये गये हैं तथा ना ही उपरोक्त किसी अनिवार्य शर्त का पालन किया गया है, अतः पदोन्नति में आरक्षण अभी तक राजस्थान में लागू ही नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप अब तक जितने भी एस.सी./एस.टी. के कर्मचारियों को आरक्षण के आधार पर पदोन्नति दी गयी है वे सभी पदोन्नतियां अवैधानिक है एवं निरस्त की जानी है।

संक्षेप में एम.नागराज का निर्णय आने के बाद नियुक्तियों में आरक्षण [अनुच्छेद 16(4)], दिनांक 19.10.06 से तथा पदोन्नतियों में आरक्षण [अनुच्छेद 16(4A)(4B)], दिनांक 17.06.95 से बंद हो गया है, क्योंकि सरकार ने अभी तक तीन अनिवार्य शर्तों/कारणों को प्रमाणित नहीं किया है। यदि सरकार ये आरक्षण देना चाहती है, तो आवश्यक आंकड़े एकत्र करें, आरक्षण के लिये अनिवार्य कारणों को प्रमाणित करें तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किये गये उपरोक्त नियमों के अनुसार ही प्रावधान बनाये तभी आरक्षण लागू होगा अन्यथा आरक्षण बंद हो चुका है। उपरोक्त सभी तथ्यों की पुष्टि महाधिवक्ता (राजस्थान) ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.03.07 में भी की है एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अशोक ठाकुर के प्रकरण में दिनांक 29.03.07 को पुनः पुष्टि की है।

(C) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित नियमों का पालन करे, उल्लंघन नहीं करें :–

(i) ऊपर पैरा (A) व (B) में दिये गये तथ्यों के अधीन आपको सूचित किया जाता है कि आप संविधान के अनुच्छेद 141–144 के अधीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित नियमों/आदेशों/निर्देशों की पालना करने के लिए बाध्य है। आपके तत्काल अवलोकन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नायर सर्विस सोसायटी बनाम केरल राज्य के प्रकरण में दिनांक 23.02.2007 को दिये गये निर्णय का पैरा 58 यहां उद्धृत है :–

"This court has repeatedly held that under Article 144, the state was bound to act strictly in terms of the decisions of this court and even if it has reservation about some of its directions, it could approach this court and could not have acted otherwise."

(ii) राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित आरक्षण नियमों की एक प्रतिशत भी पालना नहीं की है वरन् इन नियमों का खुला व बार–बार उल्लंघन करते हुए नियुक्तियों व पदोन्नतियों में अविधिक व असंवैधानिक तरीके से लगातार आरक्षण दिया जा रहा है।

आपसे प्रार्थना है कि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित आरक्षण नियमों की पालना तत्काल करावें तथा उल्लंघन को रोकें। यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों की पालना करने तक नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में आरक्षण नहीं रोका जाता है तो हमें मजबूर होकर अवमानना की कार्यवाही/नियमानुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी।

सादर।

इस पत्र/ज्ञापन की प्रतियां माननीय मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/सांसद/विधायकगण/माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय/राज्य के मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासनिक सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष/राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है।

(पाराशर नारायण शर्मा)
प्रान्तीय अध्यक्ष
समता आन्दोलन समिति (रजि.)